कार्यालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मुरादाबाद।

आदेश

दिनांक –27.03.2020

पत्रांक– एफ.एस.डी.ए./खाद्य/2019.20/

समस्त तम्बाकू विक्रेता, जनपद मुरादाबाद।

विषय– जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु पान–मसाला एवं तम्बाकू के विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय को अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र. लखनऊ के पत्र एफ.एस.डी.ए./खाद्य/1122 लखनऊ दिनांक 25.03.2020 द्वारा अवगत कराया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (COVID–19) को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस विश्व व्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गए है।

चूंकि प्रदेश में लगभग 29.4 प्रतिशत लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का विभिन्न रूप से सेवन करते हैं, जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान मसाला का सेवन कर इधर–उधर थूकने से कोरोना (COVID-19) के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउदेश्यीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है।

अतः उक्त के क्रम में जन स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त पान–मसाला एवं तम्बाकू का विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगा एवं उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2)(IV) का उल्लंघन होगा जो अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं ऐसे प्रतिष्ठान जो इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जायेंगे उनका लाइसेंस/पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस एवं पंजीकरण) विनियम 2011 के विनियम 2.1.8(4) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बधित विक्रेता की होगी।

संलग्नक– यथोपरि।

27/3/2020

अभिहित अधिकारी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मुरादाबाद

पत्रांक– एफ.एस.डी.ए./खाद्य/2019.20/ 114 (i–x) तदिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1. आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ.प्र. लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उ०प्र०।
3. मंडलायुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद।
4. सहायक आयुक्त (खाद्य), मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद।
5. जिला अधिकारी, मुरादाबाद।
6. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद।
7. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद।
8. जिला सुचना अधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध से प्रेषित की उक्त सुचना को सभी दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
9. समस्त, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
10. उत्तर प्रदेश वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।

27/3/2020

अभिहित अधिकारी
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मुरादाबाद

Scanned with CamScanner